संख्या-90/2023/I/370204/2023-71-2005(001)/31/2023

प्रेषक,

देवेन्द्र कुमार सिंह कुशवाहा,

विशेष सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,

चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,

उ0प्र0 लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 **लखनऊ : दिनांक 17 अगस्त, 2023**

विषय- क्षेत्रीय नेत्र संस्थान, सीतापुर के एम0एस0 छात्रों को स्टाईपेण्ड अनुमन्य किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एमई-3/2023/1615, दिनांक 26.07.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा क्षेत्रीय नेत्र संस्थान, सीतापुर के एम0एस0 छात्रों को स्टाईपेण्ड अनुमन्य किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि क्षेत्रीय नेत्र संस्थान, सीतापुर के एम0एस0 छात्रों को स्टाईपेण्ड दिए जाने के संबंध में संस्थान के एम0एस0 छात्रों द्वारा योजित रिट याचिका संख्या-4516/2023 डा0 अंकिता राव व 04 अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 30.05.2023 एवं रिट याचिका संख्या-4627/2023 डा0 दिनेश कुमार व 04 अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में दिनांक 31.05.2023 को आदेश पारित किए गए हैं।

3- उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या-85/2019/2625/71-1-201-जी-71/2011 टी०सी० दिनांक 16.102019 द्वारा प्रदेश के राजकीय मेडिकल एवं डेन्टल कालेजो तथा उनसे सम्बद्ध चिकित्सालयों में लागू रेजीडेन्सी योजना के अन्तर्गत कार्यरत जूनियर एवं सीनियर रेजीडेण्ट चिकित्सकों के लिए सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के कम में निम्नानुसार उच्चीकृत / पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसके आधार पर अध्ययनरत छात्रों को स्टाईपेण्ड का भुगतान किया जा रहा है:-

क्र0	पदनाम	वर्तमान वेतनमान		प्रस्तावित वेतनमान (पुनरीक्षित मैट्रिक्स मे)
		वेतन बैण्ड (रू0)	ग्रेड वेतन (रू0)	
1	2	3	4	5
1.	जूनियर रेजीडेन्ट्स प्रथम वर्ष	रू0 15600-	5400/-	रू0 56100-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	(स्नातकोत्तर डिग्री/ डिप्लोमा)	39100		177500
2.	जूनियर रेजीडेन्ट्स द्वितीय वर्ष (स्नातकोत्तर डिग्री/ डिप्लोमा)	रू0 15600-39100	5400/-	रू0 56100-177500
3.	जूनियर रेजीडेन्ट्स द्वितीय वर्ष (स्नातकोत्तर डिग्री/ डिप्लोमा)	रू0 15600-39100	5400/-	रू0 56100-177500

4- अत: प्रकरण में मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों, क्षेत्रीय नेत्र संस्थान, सीतापुर में एम0एस0 छात्रों के संबंध में आपके उपरोक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रस्ताव, मेडिकल काउंसिल ऑफ इण्डिया के पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजूकेशन रेगुलेशन्स में उल्लिखित व्यवस्था, संस्थान के बोर्ड आफ मैनेजमेन्ट की बैठक दिनांक 06.4.2016 में पारित प्रस्ताव के क्रम में छात्र हित एवं संस्थान हित के दृष्टिगत शासन द्वारा सम्यक विचारोपरांत निर्णय लिया गया है कि क्षेत्रीय नेत्र संस्थान, सीतापुर के एम0एस0 छात्रों को शासनादेश संख्या-85/2019/2625/71-1-201-जी-71/2011 टी०सी० दिनांक 16.102019 द्वारा उपर्युक्तानुसार निर्धारित दरों पर स्टाईपेण्ड का भुगतान किया जाएगा।

कृपया उपरोक्त के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(देवेन्द्र कुमार सिंह कुशवाहा)
विशेष सचिव।

संख्या- उपरोक्त, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) निदेशक, क्षेत्रीय नेत्र संस्थान, सीतापुर।
(2) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एस0पी0 सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।